न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2017 **दायर दिनांकः 28.02.2017**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू तह0 अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र राधाकिशन जाति महाजन निवासी अटरू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 CRPC

उपस्थिति :—
अप्रार्थी :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा

निर्णय दिनांक 15.04.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि समस्त ग्रामवासी/प्रार्थीगण पुरानी मण्डी कालोनी अटरू ने यह प्रार्थना पत्र 133 सी0 आर0 पी0 सी0 का इस आशय का पेश किया है कि पुरानी मण्डी से हाट बाजार को जाने वाले रास्ते पर राजेन्द्र कुमार बंसल भंवरगढ वालों ने एक सर्फ (वाशिंग पाउडर) बनाने की फैक्ट्री डाल रखी है। इस फैक्ट्री में पाउडर बनाने का केमिकल व नमक आदि के ट्रक आते रहते है। जब केमिकल का नमक का ट्रक खाली होता है तो उससे पडोस में उडकर जाने से सांस लेने में काफी परेशानी होती है पडोस में कई लोगों को दमा जैसी बिमारियां भी हो गई और उनसे मृत्यु भी हो गई है। इस केमिकल का रोज उपयोग होता है। जिससे पडोस का जीना दुभर हो गया है। शरीर मे पाउडर चिपक जाने से शरीर चिपचिता हो जाता है मकानों में भी पाउडर की परत जम जाती है। और इस फैक्ट्री का कचरा निकलता है व वही रोड पर डाल दिया जाता है। जिससे दुर्गन्ध पैदा होती है। नालियां बन्द हो जाती है। और मच्छर मक्खी पैदा होती है। जिसका मानव जीवन पर दुष्प्रभाव पडता है। और जीवन के लिये संकट पैदा हो जाता है। कई बार फैक्ट्री मालिक राजेन्द्र जी से भी निवेदन किया लेकिन वह किसी बात पर तैयार नही हुये और रोजाना अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते है। इस फैक्ट्री से हम मोहल्ले का मानव जीवन संकट में आ गया है। श्रीमान मौके पर जाकर देखें कितनी गंदगी वहां जमा हो रही है। नालियां बन्द पडी है। रोड पर पानी किचड हो रहा है, फैक्ट्री में रसायन फैला पडा है। जिसकी दुर्गन्ध

पुरे मोहल्ले के वातावरण को दुषित करती है। सांस लेना भारी पड रहा है ऐसे वातावरण में कैसे जीवन यापन किया जा सकता है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आबादी क्षैत्र से इस फैक्ट्री को हटाया जाये और मालिक के विरूद्ध कार्यवाही की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी की वासिंग पाउडर फैक्ट्री के लिये पूर्व में भी श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा नोटिस देकर फैक्ट्री की सम्पूर्ण जॉच करवाई गई थी, एवं सरपंच साहब अटरू को बुलाकर मौखिक बयान श्रीमान जांच अधिकारी महोदय द्वारा लिये गये थे, जिसकी कॉपी श्रीमान की सेवा में पेश है। वासिंग पाउडर फैक्ट्री में जो नमक काम में आता है, उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नही होता है, नाहि किसी प्रकार की दुर्गन्द आती है। वासिंग पाउडर फैक्ट्री के सामने मेन रोड एवं नाली बिलकुल स्वच्छ रहती है, किसी प्रकार की गन्दगी एवं कचरा नही रहता है। श्रीमान स्वयं निरीक्षण करवा सकते है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी शिकायत को निरस्त किये जाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध सम्पर्क पोर्टल पर भी शिकायत प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार अटरू से जांच करवाई गई जिसमें पर्चा बयान के तहत कथन किया गया कि मै मनोज सुमन पुत्र श्री देवलाल जी सुमन सरपंच अटरू नायब तहसीलदार साहब द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र की जांच हेतु बुलाने पर पहुंचा तथा प्रार्थना पत्र में अंकित शिकायत के बारे में पूछने पर निम्न बयान करता हूॅ। कि उक्त प्रार्थना पत्र पर मेरे हस्ताक्षर है परन्तु यह हस्ताक्षर मेने बिना पढे ही कर दिये थे यह फैक्ट्री लगभग 10–15 वर्ष से चल रही है। इस पर मैने 1 व 2 वर्ष का भी किया था इसमें ऐसे किसी रसायन का प्रयोग नही होता जिसकी दुर्गन्ध से जीना दुर्लभ होता हो या दमा जैसी बीमारिया होती हो वर्तमान में नाली भी साफ है इससे भी कोई दुर्गन्ध जैसी बात नही है। रोड़ पर पानी भी नही फैल रहा है। फैक्ट्री में सूखा पाउडर मिक्सिंग कर थेलियां पैकिंग की जाती है। इसमें पानी का उपयोग नही होता है। वातावरण में भी सांस लेने में कोई परेशानी जैसी बात नही है। ट्रक में आया हुआ कच्चा माल भी महालक्ष्मी ट्रन्सपोर्ट के सामने वाले मैन रोड पर स्थित गेट के यहां खाली होता है। फैक्ट्री के साईट वाले गेट पर इससे भी किसी प्रकार भी समस्या नही होती है। यह बयान मैने अपने स्वच्छ चित एवं होश हवास में लिख दिया है। साक्ष्य प्रार्थी के अन्तर्गत साक्ष्य प्रार्थी पेश न करने के कारण साक्ष्य

प्रार्थी बंद किये गये। अभिभाषक प्रार्थी को सुना अभिभाषक प्रार्थी द्वारा जवाब के बिन्दुओं को दोहराया वाशिंग पाउडर फैक्ट्री में जो नमक काम आता है। उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नही होता है। नाहि किसी प्रकार की दुर्गन्द आती है। वाशिंग पाउडर फैक्ट्री के सामने मैन रोड एवं नाली विलकुल स्वच्छ रहती है किसी प्रकार की गन्दगी एवं कचरा नही रहता है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया मौका पर्चा अनुसार वाशिंग पाउडर फैक्ट्री लगभग 10–15 वर्ष से चल रही है। इसमें कोई रसायन का प्रयोग नही होता जिसकी दुर्गन्ध आती हो, बीमारी होती हो फैक्ट्री में किसी प्रकार का गन्दा पानी नही निकलता सुखा पाउडर मिक्स कर थेलिया पैकिंग की जाती है। इसमें पानी का उपयोग नही होता कच्चा माल महालक्ष्मी ट्रान्सफोर्ट के सामने वाले मेनरोड़ पर स्थित गेट के पास खाली होता है। इसमें किसी प्रकार की समस्या नही होती है।

अतः न्यायहित में ग्रामवासियान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है। कि वाशिंग पाउडर फैक्ट्री का माल नमक आदि अन्यत्र स्थान पर सुरक्षित कट्टे आदि में फैक्ट्री तक लाया जावें। ताकि वह हवा के साथ उडकर बहार न जावें तथा फैक्ट्री का कचरा गीला सूखा अलग–अलग कचरा पत्र में इकठ्ठा कर एकान्त स्थान पर उसका डिस्पोजल करें, तथा नाली में फैक्ट्री का गन्दे पानी की निकासी नही करें। ताकि ग्रामवासियान को परेशानी पैदा न हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां